आदश

अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर घोषणा आश्य की जाती है कि जमीन खाता संख्या 105 हाल खसरा नं. 877 रकबा 3.2000 हैक्टर, खसरा नं. 882 रकबा 0.8000 हैक्टर, खसरा नं. 885 रकबा 1. 3400 हैक्टर, खसरा नं. 888 रकबा 2.2900 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 7.6300 हैक्टर स्थित ग्राम किठाना में प्रार्थी का नाम नागर पुत्र श्रीचन्द के स्थान पर नागरमल पुत्र श्रीचन्द व मखन पुत्री श्रीचन्द के स्थान पर मरवन पुत्री श्रीचन्द दुरूस्त किये जाने के आदेश दिया जाता है। खाते के शेष इन्द्राजात यथावत रहेगे। तहदनुसार तहसीलदार चिड़ावा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डा0नरेश सोनी)
उपखंड अधिकारी चिड़ावा

उपखंड अधिकारी चिड़ावा
जिला झुन्झुनू (राज.)